



निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय  
**Directorate General of Performance Management**  
 अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क  
 Indirect Taxes & Customs  
 5 वीं मंजिल, ड्रम शेप बिल्डिंग, आई. पी. भवन, आई. पी. इस्टेट  
 5<sup>th</sup> Floor, Drum Shape Building, I.P. Bhawan, I.P. Estate  
 नई दिल्ली/ New Delhi-110002  
 Email : - [cca-dgpm@gov.in](mailto:cca-dgpm@gov.in)

दिनांक: As e-signed

सेवा में / To,

प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक  
 सीसीए, डीजीपीएम के अंतर्गत सभी निदेशालय/प्रधान आयुक्त, लॉजिस्टिक्स/निदेशक,  
 सीआरसीएल, नई दिल्ली।

Pr. Director General/ Director General  
 All Directorates, under CCA, DGPM/ Pr. Commissioner, DoL/ Director, CRCL, New Delhi.

विषय / Sub: - सीसीए डीजीपीएम के तहत निदेशालयों में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में  
 वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2026, के संदर्भ में। /Annual General Transfer 2026 in grade  
 of Senior Private Secretary in Directorates under Cadre of DGPM, reg.

महोदया / महोदय / Madam / Sir,

कृपया सीसीए, डीजीपीएम के तहत निदेशालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ग्रुप 'बी'  
 और ग्रुप 'सी' के लिए स्थानांतरण पोस्टिंग नीति के लिए F. No 1040/27/2019 दिनांक  
 30.08.2022 द्वारा जारी पत्र का संदर्भ लें।

Kind reference is invited to the transfer posting policy for Group 'B' and Group 'C' of  
 officers and staff of the Directorate under CCA, DGPM issued vide F. No. 1040/27/2019 dated  
 30.08.2022.

2. इस संबंध में, सीबीआईसी में सीसीए, डीजीपीएम के तहत विभिन्न निदेशालयों/संरचनाओं में  
 कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में स्थानांतरण के लिए देय अधिकारियों की सूचियां संलग्न हैं,  
 जो स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार संकलित की गई हैं। इसे वरिष्ठ निजी सचिव ग्रेड  
 के अधिकारियों के बीच परिचालन के लिए सभी निदेशालयों को भेजा जाता है। नियत सूची में कोई  
 भी विसंगति 31.03.2026 तक इस कार्यालय को भेजी जा सकती है। यदि निर्धारित समय के  
 भीतर कोई विसंगति की सूचना नहीं दी जाती है, तो नियत सूची को अंतिम माना जाएगा।

In this regard, find enclosed the lists of officers due for transfer in the grade of Senior  
 Private Secretary working in different Directorate/formations under CCA, DGPM in CBIC,  
 compiled as per the guidelines of the transfer policy. The same is hereby forwarded to all the  
 Directorates for circulation amongst the officers in the grade of Sr. PS. Any discrepancy in the Due  
 List may be forwarded to this office by 31.03.2026. If no discrepancy is reported within stipulated  
 time, the Due List will be treated as final.

3. इसके अलावा, नियत सूची में वरिष्ठ निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी या जो अधिकारी नियत सूची में नहीं हैं और समय से पहले स्थानांतरण चाहते हैं, वे भी Pr. DG/DG या उसके बराबर के अधिकारी की स्वीकृति से उचित माध्यम से अपना अभ्यावेदन तय प्रपत्र में, सहायक दस्तावेज़ (अगर कोई हों) के साथ भेज सकते हैं। सभी आंचलिक इकाइयों और ज़ोनल इकाइयों से प्रार्थना है कि वे AGT Proforma/ स्थानांतरण अनुरोध और अग्रिम प्रति सीधे CCA, DGPM को न भेजें।

Further, officers in the grade of Senior Private Secretary in the Due List or officers who are not in due list and seeking premature transfer may also forward their representations through proper channel with the approval of Pr. DG/DG or equivalent in the prescribed proforma enclosed, along with supporting documents (if any). All the Regional Units and Zonal Units are requested to refrain from sending AGT proforma/transfer requests and advance copy directly to CCA, DGPM.

संलग्न/ Encl:

1. नियत सूची Due List
2. AGT 2026 के लिए प्रपत्र (वैयक्तिक के लिए)/  
Proforma AGT 2026 (for individuals)

भवदीय/Yours faithfully

(कमर शील /Kumar Sheel)  
संयुक्त निदेशक(कैडर) /Joint Director (Cadre)